

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2025 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. राजीव रौशन, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा
2. श्री अनिल कुमार राय, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा।
3. श्री मुकेश कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), सारण, छपरा - सदस्य।

कार्यवाही:-

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा उपस्थित सदस्यों, पदाधिकारियों एवं आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. विगत बैठक दिनांक-01.08.2025 की कार्यवाही का अनुपालन हेतु निदेश दिया गया।

3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण नियमों/प्रावधानों यथा-76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एवं 96 इत्यादि तथा उसके विषय की विस्तृत जानकारी सभी पदाधिकारियों एवं आवेदकों को दी गयी, ताकि परमिटधारी अपने परमिट का सही उपयोग कर सके।

माह-अगस्त, 2025 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु कुल-30 नये आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों पर विचार किया गया, जो कार्यावली संख्या-3(i) परिशिष्ट-II पर दर्ज है।

इस बैठक हेतु प्राप्त आवेदन की विवरणी						पूर्व से लंबित आवेदन की विवरणी		
कुल आवेदन	स्वीकृत	संशोधित स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	लंबित आवेदन	पूर्व से कुल लंबित	स्वीकृत	अस्वीकृत
30	22	02	05	01	00	00	-	-

प्राधिकार का निर्णय परिशिष्ट-I से III पर, पृष्ठ संख्या-01.. से 3.2 तक कुल-16 पन्नों में संलग्न है।

सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्रमांक	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दि० 6.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के लिए निर्देश।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
6	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का ज्ञापांक 1932 दिनांक 12.03.2021	शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात के संबंध में।

7	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-7695, दिनांक-13.05.2024	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
9	परिवहन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0-6479, दिनांक-30.09.2022	सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्यता के संबंध में।
10	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।
11	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1557 दिनांक 07.03.2022	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में।
12	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 4156 दिनांक 01.06.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में।

5. दो वाहनों के प्रस्थान समय में न्यूनतम अन्तराल :- प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 में विचार-विमर्श करने के उपरांत यात्रीगणों की सुविधा, परमिट हेतु प्राप्त आवेदनो की संख्या, बस पड़ाव में भीड़-भाड़ व वाहन स्वामियों के अनुरोध एवं सुझाव तथा अन्य निकटतम प्राधिकारों की पॉलिसी इत्यादि को देखते हुए इसमें निम्न कंडिका "क" एवं "ख" के अनुरूप संशोधन किया गया, जिसे यथावत् रखते हुए प्राधिकार की बैठक दिनांक-27.02.2025 में कंडिका "ग" एवं "घ" जोड़कर इसे और अधिक स्पष्ट किया गया, ताकि समय-अंतराल के किसी बिंदु पर संशय की स्थिति नहीं रहे, जो निम्नवत है :-

(क) प्रारम्भिक/मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:-

(i) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पूर्व (Before) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय के बाद (After) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:- किसी मार्ग के मध्य बिन्दु पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान समय में अन्तराल (पहले या बाद में) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का अनुमान्य होगा।

(ग) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में समय-अंतराल:-

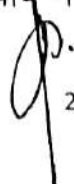
(i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन एवं आवेदित वाहन का प्रारम्भिक बिन्दु (किसी एक तरफ से भी) समान होने की स्थिति में नये आवेदनों के शिवाय समय-अंतराल का उपरोक्त कंडिका-(क) एवं (ख) के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का प्रारम्भिक बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय-अंतराल पहले (Before) न्यूनतम 05 मिनट तथा बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।

(iii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारम्भिक बिन्दु होने की स्थिति में समय-अंतराल पहले (Before) या बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।





 2



(घ) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में रागय-अंतराल संबंधी उपरोक्त कंडिका (क),(ख) एवं (ग) के प्रावधान लागू/गान्य नहीं होंगे।

प्राप्त आवेदन एवं आपत्तियों के सुनवाई के क्रम में प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय आवेदकों द्वारा उक्त समय अन्तराल का अनुपालन किये बगैर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, जिस कारण उनके समय-सारणी में ट्रिप कटाव/बाईपास करते हुए परमिट पर विचार किया जाता है। इस बिन्दु पर कई आवेदकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिस वाहन के समय-सारणी से उनके आवेदित समय-सारणी का टकराव हो रहा है वह वाहन भी उनकी है अथवा उनके बैनर के अंतर्गत चलने वाली वाहन है। साथ ही कभी यह भी कहा जाता है कि जिनके वाहन के परमिट से समय का टकराव हो रहा है उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं इस तर्क के साथ परमिट हेतु अनुरोध किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि **उक्त मामला टाईम स्लॉट का है। परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु बस को दी जाती है न कि किसी व्यक्ति को।** चूँकि प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामियों द्वारा Modus Operandi के तहत एक रूट में क्रमवार अपने बैनर के अंतर्गत चार-पाँच वाहनों का परमिट प्राप्त कर लिया जाता है और उसमें से एक-दो वाहनों का ही परिचालन किया जाता है। शेष वाहनों को अन्यत्र स्थानों यथा-विद्यालय, आदि में संचालित किया जाता है तथा यात्रियों को बस के क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐसे टाईम स्लॉट का प्रावधान लागू किया गया है। **यह टाईम स्लॉट सभी पर सामान रूप से लागू होगा, चाहे समय का टकराव खुद की वाहन से ही क्यों न हो रहा हो।**

6 (i) उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ (FIFO) :- जिन वाहन स्वामियों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया का पालन कर प्राधिकार के आगामी बैठक में आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 28.10.2024 से "पहले आओ-पहले पाओ" का नियम लागू किया गया है, जिसके आधार पर ऑनलाईन आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार (Server time के अनुसार) विचार किया जाएगा।

(ii) Overlapping of Route:- मार्ग भिन्नता से संबंधित मामले प्रकाश में आते रहे हैं। एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग पर परमिट धारक द्वारा आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध किया जाता है। उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 में निर्णय लिया गया था कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो तथा 40 प्रतिशत तक एक-दूसरे को आच्छादित करता हो तो दोनों मार्ग को भिन्न मानते हुए नियमानुसार परमिट निर्गमण की कार्यवाही की जायेगी तथा जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो एवं समय का टकराव पूर्व के परमिट से आच्छादित वाहन से हो रहा हो तो उन दोनों मार्गों को भिन्न नहीं मानते हुए आपत्ति के आलोक में नियमानुसार ट्रिप कटाव/बाईपास कर परमिट निर्गमण के बिंदु पर विचार की जायेगी।

(iii) बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7695, दिनांक-13.05.2024 के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक-10.09.2024 की कार्यवाही में सभी बस मालिकों को उपरोक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक-20.09.2024 के अंक में एवं तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र हिन्दुस्तान व प्रभात खबर के दिनांक-10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञापित/सूचना प्रकाशित कर सभी बस

मालिकों को अपने बसों के दोनों तरफ (a) परमिटधारी का नाम एवं पता (b) परमिट संख्या एवं वैधता (c) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (d) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लेने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही अधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः सभी बस मालिकों को पुनः निदेशित किया गया कि वे अपने बसों के दोनों तरफ उपरोक्त सूचना अनिवार्य रूप से अंकित करा लें अन्यथा पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ-साथ नियमानुसार परमिट निलंबन/रद्द करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया जायेगा।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन: सभी DTO, सारण प्रमंडलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(iv) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराया जाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-6479, दिनांक-30.09.2022 द्वारा VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177, 179 एवं धारा-190(2) का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार उक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा भी परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक-30.11.2024 हेतु मिश्रा-बन्धु बैनर के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं उसपर प्राप्त आपत्ति, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में निबंधित कई बसों का उल्लेख किया गया था, जिसके सुनवाई के क्रम में पाया गया कि उन बसों में VLTD स्थापित नहीं है। इस बिंदु पर पृच्छा किये जाने पर मिश्रा बन्धु बस सेवा के स्वामी एवं अन्य उपस्थित पक्षों द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं है।

इस बिंदु पर सभी वाहन स्वामियों को संबोधित करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि भले ही किसी राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं हो, परन्तु यह बिहार राज्य में अनिवार्य किया गया है। इसलिए इस प्राधिकार के क्षेत्र अंतर्गत यदि किसी अन्य राज्य से निर्गत परमिट पर वाहन का परिचालन किया जाता है, तो उस वाहन में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य है। अन्यथा परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-6479, दिनांक-30.09.2022 का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार संबंधित वाहन के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 के कार्यवाही में एवं समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के दिनांक-20.09.2024 के अंक में तथा तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" व "प्रभात खबर" के दिनांक-10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अनुपालन हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही अधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय बस मालिकों द्वारा अपने बस में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है।

प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.05.2025 के लिए प्राप्त आपत्ति के आलोक में वाहन सं०-BR06PF-5542, BR05PB-8293 एवं BR05PB-8073 का VLTD जाँच में पाया गया कि उक्त तीनों वाहनों में VLTD अधिष्ठापित एवं सक्रिय तो है, परन्तु उसका डाटा VLTD कंट्रोल रूम को आज

तक नहीं भेजा गया है या पिछले कई माहों से नहीं भेजा रहा है, जो परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1557, दि०-07.03.2022 एवं पत्रांक-4156, दि०-01.06.2023 में वर्णित प्रावधान का उल्लंघन है, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया गया एवं सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया है कि वे नियमित रूप से जाँच करते रहेंगे कि उनके वाहन में अधिस्थापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। ऐसा नहीं होने पर उनकी जानबूझकर लापरवाही मानते हुए जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जायेगी।

अतएव सभी बस मालिकों को पुनः निदेश दिया गया कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके वाहन में अधिस्थापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। VLTD स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे। साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर नियमानुसार परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों का VLTD की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रतिदिन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(v) वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी :-

सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)
1	0-5	असीमित
2	5-10	600
3	10-15	400
4	15 से ऊपर	100

उल्लेखनीय है कि विभागीय वाहन पोर्टल पर जाँच के क्रम में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्गत परमिट वाले बसों में से ऐसे 60 बसों, जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो गई थी एवं उनके पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक था, को ससमय प्रतिस्थापन नहीं कराने की स्थिति में दिनांक 10.05.2025 को तत्काल प्रभाव से उनके परमिट को रद्द कर टाईम स्लॉट मुक्त (Free) कर दिया गया था।

अतः सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रहा हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। उक्त अवधि के बाद परिचालन पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। ध्यान रहे कि परिवहन विभाग के पोर्टल पर अंकित दूरी को ही वास्तविक दूरी मानी जायेगी।

(iv) गति सीमा :-

(क) गति सीमा का पालन :- सभी आवेदक/वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए यह स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है एवं समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-9(i)(m) में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ख) न्यूनतम गति सीमा का पालन :- कतिपय बस मालिकों द्वारा अत्यंत धीमी गति से बसों का परिचालन किया जाता है एवं उसी के अनुरूप समय-सारणी का प्रकाशन कराया जाता है। बसों का काफी धीमी गति से परिचालन करने से यात्रियों को असुविधा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि यात्रीगण को पूर्व से यह पता नहीं होता है कि अमूक बस कितने समय में उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी। बस में बैठने के पश्चात् उनको पता चलता है कि इस बस का परिचालन काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जिससे उनको अपने किसी कार्य हेतु निर्धारित समय अवधि पर पहुँचने में विलंब होने के साथ-साथ अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर ऐसी स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए प्राधिकार द्वारा बसों की न्यूनतम गति सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:-

1. **MMPPY बस:-** 10 कि०मी०/घंटा
2. **सामान्य बस:-** 20 कि०मी०/घंटा

नोट:- (1) सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओं के मध्य दूरी 5 कि०मी० या उससे कम हो तब उस पड़ाव बिंदुओं के मध्य न्यूनतम गति सीमा 15 कि०मी०/घंटा अनुमान्य किया जा सकेगा।

(2) सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओं के मध्य आम तौर काफी भीड़-भाड़ रहती हो या उस सड़क की स्थिति के अनुसार 20 कि०मी०/घंटा से अधिक तेज चलाने पर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में 20 कि०मी०/घंटा से कम गति होने पर भी प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में 15 कि०मी०/घंटा से कम गति होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक-30.11.2024 में कतिपय वाहन स्वामियों का आवेदन समय अंतराल त्रुटिपूर्ण भरे जाने के कारण अस्वीकृत हो गया था। क्योंकि समय अंतराल में सुधार करने के पश्चात् पाया गया कि कतिपय आवेदनों के समय-सारणी में अधिकतम एवं न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। इस क्रम में आयुक्त-सह-अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा दिनांक-03.12.2024 को उपस्थित वाहन स्वामियों के साथ बैठक आयोजन किया गया, जिसमें समय अंतराल को सही तरीके से भरने एवं आवेदन के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न करने, आदि बिंदुओं पर प्रशिक्षण दी गयी। इसके बावजूद भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा समय अंतराल को सही तरीके से नहीं अंकित किया जा रहा है, जिसमें सुधार करने के पश्चात् पाया जा रहा है कि आवेदित समय-सारणी में या तो अधिकतम गति सीमा का या फिर न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। दोनों ही स्थिति में उनके आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं।

अतः वाहन स्वामियों को निदेशित किया जाता है कि यदि गति सीमा के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रमादी वाहन के परमिट को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध भी नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

7. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा आर0टी0ए0 में सुगमता, पारदर्शिता एवं परमिटधारियों की सुविधा हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं, जिसकी जानकारी विस्तार से दी जा रही है:-

(i) परमिट हेतु निर्णय सिर्फ ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है। ऑफलाईन कागजात सिर्फ कार्यालय अभिलेख के लिए है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन में विसंगति/भिन्नता, विशेष कर पोर्टल में दर्ज समय-सारणी एवं हार्ड कॉपी में दर्ज समय-सारणी में विसंगति/भिन्नता पाये जाने पर परमिट हेतु दी गई स्वीकृति को अस्वीकृत माना जायेगा एवं नियमानुसार आवेदन Dispose Off कर दिया जायेगा।

(ii) पूर्ण आवेदन देने हेतु सभी जानकारी आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाती है, ताकि आवेदक को सभी आवश्यक सूचना एक ही जगह पर सुगमता से प्राप्त हो सके, यथा-मार्गवार सभी बसों की समय-सारणी, बैठक की सूचना, एजेण्डा, बैठक की कार्यवाही इत्यादि। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का Sample भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(iii) आवेदन स्वीकृति के पश्चात् निर्गत परमिट आवेदक के पता पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाती है। साथ ही निबंधित डाक पावती को परमिट के कार्यालय प्रति पर रख कर उसे Scan किया जाता है तथा उस परमिट की प्रति को आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, ताकि परमिट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदक अपने निर्गत परमिट की Status की जानकारी प्राप्त कर सकें। पता गलत होने पर निबंधित डाक वापस आ जाने की स्थिति में आवेदक पर 1000=00 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माना जमा करने पर ही पुनः निबंधित डाक से परमिट संशोधित पता पर भेजा जायेगा।

अतएव सभी आवेदकों से अनुरोध है कि निबंधन पुस्तिका/ Owner book में अपना सही पता अनिवार्य रूप से अद्यतन करा लें।

(iv) किसी परमिट धारी/बैनर के अधीन परमिट युक्त वाहन का आवश्यक कागजात फेल होने की स्थिति में परिचालन के संबंध में कार्यालय को सूचना :- प्राप्त आवेदन की समीक्षा के क्रम में अथवा इस संबंध में आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में प्रायः वाहन स्वामियों द्वारा कहा जाता है कि उनके द्वारा वैसे किसी वाहन, जिसका आवश्यक कागजात फेल है का परिचालन नहीं किया जा रहा है अथवा कागजात फेल होने की अवधि में परिचालन नहीं किया गया है।

अतः इस संबंध में सभी वाहन स्वामियों को अवगत कराया जाता है कि यदि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहन का कोई भी मान्य कागजात फेल है एवं उसका परिचालन वे नहीं कर रहे हैं, तो इसकी सूचना ससमय कार्यालय को दें अन्यथा यह माना जायेगा कि उनके द्वारा उक्त वाहन का परिचालन किया गया है/किया जा रहा है (deemed operation of vehicle on road) एवं उक्त के अनुसार कार्रवाई/जुर्माना की जायेगी।

(v) V.L.T.D. रिपोर्ट एवं Toll Plaza से रिपोर्ट प्राप्त कर वाहन के परिचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसलिए सभी वाहन स्वामी अपने बैनर अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों का सभी कागजात अद्यतन रखें। टॉल प्लाजा से वाहन यदि गुजरा है तो वाहन परिचालन का प्रमाण माना जायेगा।

(vi) आवेदन एवं एजेण्डा पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर एवं उस पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है।

(vii) गंभीर आपत्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया जायेगा।

(viii) शिकायत हेतु E-mail :- यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो E-mail id-rtasaranbihar@gmail.com पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत सही होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन स्वामी को कोई कार्य हो तथा कोई अभिलेख जमा करना अथवा प्राप्त करना हो तो कार्यालय के काउण्टर नम्बर 01 से सम्पर्क कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। यदि उन्हें कार्यालय आना पड़े तो प्राथमिकता के आधार पर पहले संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से मिल कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। उनसे संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी कार्यों के निष्पादन के संबंध में बात कर सकते हैं।

(ix) बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात V.C. के माध्यम से बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराहन् 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

(x) समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी परमिटधारी/वाहन स्वामियों को प्राधिकार के निर्णय से अवगत कराया गया है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विषय	कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
1.	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में।	पत्रांक-188, दिनांक-14.09.2024	हिन्दुस्तान	20.09.2024
2.	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में। साथ ही 167 प्रमादी वाहनों को भेजे गये नोटिस के संबंध में।	पत्रांक-380, दिनांक-04.10.2024	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	10.10.2024
3.	प्रमादी वाहनों का परमिट रद्द करने के संबंध में।	पत्रांक-528, दिनांक-15.11.2024	दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	16.11.2024
4.	ऑफलाईन परमिटों को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इंट्री के संबंध में।	पत्रांक-529, दिनांक-15.11.2024	द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	19.11.2024 20.11.2024
5.	परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में।	पत्रांक-48, दिनांक-29.03.25	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	04.04.2025
6.	परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में।	पत्रांक-148, दिनांक-30.04.25	हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण	03.05.2025
7.	फर्जी बीमा कराकर बस का परिचालन करने के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।	-	हिन्दुस्तान	25.05.2025

8. सामान्य निदेश:-

(i) इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को गुजफरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :- उन सभी बसों को जिनके परमिट गुजफरपुर प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, वे परमिट निर्गमण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है। अधिकतर परमिटधारी इस शर्त का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

किसी भी आवेदक या ग्रुप के वाहन का पूर्व में निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं किया जाता है तो प्रति लंबित वाहन पर 5000=00 रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जायेगा एवं भविष्य में उनके किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :- जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन किया जा रहा है, वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रतिहस्ताक्षर रहित बस के स्वामी द्वारा तथ्य छुपाकर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, तो जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित बस जिस बोर्ड, समूह/बैनर के अधीन परिचालित हो रही है, उस बोर्ड, समूह/बैनर के किसी भी आवेदन/आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा लिया गया है। कुछ वाहन स्वामियों द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय-सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। वैसे वाहनों के स्वामी इस प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन ऑनलाईन या काउन्टर नं0-1 पर समर्पित करेंगे।

यदि किसी वाहन का स्टेज कैरेज परमिट किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकार से निर्गत है एवं उसका परिचालन मार्ग बिहार राज्य/इस प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, तो उस परमिट को भी राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना से प्रतिहस्ताक्षर होना/कराया जाना अनिवार्य है। प्राप्त आसूचना के अनुसार एवं बसों के जाँच के क्रम में ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य से परमिट प्राप्त कर बिना प्रतिहस्ताक्षर के ही इस राज्य/सारण प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो कि नियमानुकूल नहीं है।

अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया जाता है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगली बैठक से पूर्व की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) परमिट प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने की स्थिति में पुनः परमिट हेतु आवेदन:- यदि किसी वाहन का निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व से धारित परमिट प्रत्यर्पण करने के पश्चात् ही नये परमिट हेतु आवेदन किया जाय। बिना परमिट प्रत्यर्पण किये नये परमिट हेतु आवेदन करने की स्थिति में यह माना जायेगा कि प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने के पश्चात् भी उक्त परमिट पर पूरे मार्ग में वाहन का परिचालन किया जा रहा है और इस आधार पर जुर्माना के साथ एवं पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करने के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जायेगी। परमिट की प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत होने की स्थिति में छः माह के पूर्व भी परमिट का प्रत्यर्पण किया जा सकता है।






9



(iv) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :- परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ-पत्र इत्यादि की जाँच कर एवं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक/ऑपरेटर)

(v) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :- ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इससे विद्युत तार से सम्पर्क होने एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि इस तरह के मामले की जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। CCTV footage/Toll Plaza के प्रतिवेदन के आधार पर भी जुर्माना/कार्रवाई की जा सकती है।

कतिपय वाहन स्वामी स्टेज कैरेज (पाँच वर्ष) का परमिट प्राप्त कर स्कूल बस में परिचालित करते हैं एवं टाईम स्लॉट घेर कर रखते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। प्राधिकार की बैठक दिनांक-30.12.2024 में ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था, जिसका परमिट रद्द करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया था।

स्टेज कैरेज का परमिट प्राप्त कर यात्री बस के रूप में परिचालन नहीं करना परमिट के शर्तों का उल्लंघन है। शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों की जाँच कराई जायेगी एवं परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में कार्रवाई करते हुए नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जायेगा।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(vi) आपत्तिकर्ता का दायित्व :- आपत्तिकर्ता द्वारा अपने जिस वाहन से दूसरे वाहन के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर आपत्ति दिया जाता है, उस वाहन का भी सभी मान्य कागजात यथा- टैक्स, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, VLTD इत्यादि अद्यतन होना अनिवार्य है, तभी उनके आपत्ति आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि आपत्तिकर्ता/उनके ग्रुप के किसी भी वाहन के कागजात अद्यतन नहीं है या जुर्माना बकाया है तो ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता पर देय जुर्माना के अतिरिक्त 10000=00 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इससे आपत्तिकर्ता आपत्ति से पहले अपने स्वयं के वाहनों के कागजात नियमसंगत है या नहीं, का सत्यापन कर ही आपत्ति देने के लिए प्रेरित होंगे। आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र में सभी विवरणी अंकित कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय के काउन्टर नं0-01 अथवा कार्यालय के ई-मेल-rtasaranbihar@gmail.com पर भेजें, इससे कार्यालय को कार्यावली तैयार करने में सुगमता होगी।

प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय वाहन स्वामी तथ्यात्मक आपत्ति नहीं करते हैं एवं स्वयं के संबंध में कई बिन्दुओं को छुपाकर शिकायत करते हैं। इस क्रम में बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि प्राधिकार की आगामी बैठक से स्वयं के बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों की विवरणी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा पत्र में उल्लेखित करते हुए तथ्यात्मक शिकायत करेंगे एवं शिकायत के संबंध में शिकायत का आधार एवं तत्संबंधी वांछित साक्ष्यों की प्रति भी संलग्न

2

A

An

करेंगे, जिससे उनके शिकायत पर विचारोपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। सुलग प्रसंग हेतु शपथ-पत्र/स्व-घोषणा पत्र एवं आपत्ति आवेदन दाखिल करने संबंधी आवेदन-पत्र का Sample प्रारूप कार्यालय के वेबसाइट पर Sample Document के सेक्शन में सुलभता हेतु Upload कर दी गई है।

नोट:- (1) यथासंभव वाहन स्वामी के तरफ से ही आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा। विशेष परिस्थिति में ही वाहन स्वामी के तरफ से अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी के तरफ से विधिवत रूप से प्राधिकृत पत्र/एकरारनामा की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आपत्ति आवेदन को प्राधिकार द्वारा खारिज किया जा सकता है।

(2) आवेदित मार्ग से भिन्न मार्ग पर समय टकराव के बिंदू पर आपत्ति करने की स्थिति में आपत्तिकर्ता अपने जिस वाहन से आपत्ति कर रह रहे हैं, वे उस परमिट के मार्ग का नक्शा अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे, ताकि स्पष्टता से जाँच की जा सके कि आवेदित मार्ग एवं आपत्तिकर्ता के परमिट का मार्ग एक-दूसरे को कितना प्रतिशत आच्छादित कर रही है।

(अनुपालन: संबंधित वाहन स्वामी/संबंधित आपत्तिकर्ता)

9. नये आवेदन :-

(i) परमिट हेतु आवश्यक कागजात :- परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है, परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि न हो तथा कार्यालय अभिलेख के लिए आवश्यक कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना या ई-मेल rtasaranbihar@gmail.com पर भेजना आवश्यक है। अतएव सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि निम्न कागजातों के साथ आवेदन करेंगे:-

(a) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(b) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(c) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(d) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(e) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(f) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैटान क्षमता, ए0सी0/नॉन ए0सी0, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके।

(g) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए यह भी उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर है।

(h) विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1)।

(i) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(j) मार्ग का वैध नक्शा।

(k) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र अनुलग्नक-2 में) ऑनलाईन आवेदन के List of Documents के क्रमांक 22 में फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ रकैन कर अपलोड करेंगे।

(l) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 27 रुपये के डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।

2

1

1

1

(m) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

प्रपत्र

वाहन संख्या-..... रूट संख्या-..... (.....से.....तक) वाया-.....

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

(ii) अपूर्ण आवेदन :- प्रायः ऐसा देखा गया है कि कई आवेदक परमिट हेतु आवेदन करते समय भूल कर देते हैं। जैसे:- वाहन की निबंधन संख्या लिखने में, तो कुछ का समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय लिखने में, या वाहन के चारों तरफ का फोटो संलग्न करने में, VLTD ऑनलाइन नहीं कराने में या मोटरयान निरीक्षक का प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) संलग्न नहीं करने में, या शपथ-पत्र में बैनर का नाम नहीं लिखने में।

ऐसे मामलों को प्रत्येक लिपिकीय भूल/त्रुटि के लिए 5000/-रूपये की दर से जुर्माना लगाकर उनके आवेदन पर विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

चूँकि अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन से समय-सारणी एवं अन्य बिन्दुओं की सही जानकारी प्रतिद्वंदी अथवा पूर्व परमिटधारी नहीं हो पाने के कारण उचित आपत्ति देने एवं सही तथ्यों की जानकारी नहीं रहने पर कार्यालय से भी गलती होने की संभावना रहती है। त्रुटिपूर्ण आवेदन पर जुर्माना लगाते हुए विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा आवेदकों को त्रुटिरहित आवेदन के लिए प्रेरित करने एवं पारदर्शिता हेतु लिया गया है। यह सिर्फ एक विकल्प होगा, यदि आवेदकगण जुर्माना नहीं देना चाहेंगे तो वे पुनः नियमानुसार एवं विहित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध रिक्त Time slot में आवेदन कर सकते हैं तथा जो आवेदक जुर्माना जमा करने का विकल्प चुनते हैं, वे जुर्माना की राशि Tax Receipt शीर्ष R0041001020014-00-03 में जमा कराकर कार्यालय में विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र के साथ सूचना देंगे। तत्पश्चात् परमिट निर्गत किया जाएगा।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में आवेदित समय-सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन एवं अन्य साक्ष्य को संलग्न नहीं किया जायेगा। ऐसे अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) आवेदक/आपत्तिकर्ता या उनके बैनर के तहत संचालित वाहनों पर जुर्माना लंबित होने पर भी परमिट हेतु आवेदन/आपत्ति करने पर अतिरिक्त जुर्माना :- यदि किसी आवेदक/आपत्तिकर्ता द्वारा अपने वाहन पर जुर्माना की राशि लंबित होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित किया जायेगा तो लंबित जुर्माना के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा। डिफॉल्टर होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित करना नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि जो आवेदक/आपत्तिकर्ता स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा है या Defaulter है उसे लाभ/अपना दावा/परमिट प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। ऐसे आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं पर लंबित जुर्माना के अतिरिक्त 10000/- रूपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है, ताकि वाहन स्वामी अपने वाहन पर बकाये जुर्माना एवं टैक्स ससमय जमा करने हेतु प्रेरित होंगे।

यदि जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है अथवा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अतः बस मालिकों से अनुरोध है कि यदि आपके ग्रुप/बैनर के किसी वाहन पर पूर्व से अधिरोपित जुर्माना बकाया है, तो बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् ही नये परमिट हेतु आवेदन करें एवं यदि आवेदन करने के पश्चात् आपके ग्रुप/बैनर के किसी वाहन पर जुर्माना अधिरोपित हो जाता है तो उसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक से पहले निश्चित रूप से जमा कर दें।

(iv) प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :- प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन के स्वामी या उनके वैध प्रतिनिधि (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई0डी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे। कई वाहन स्वामी अन्य आवेदकों के लिए आवेदन देते हैं या बैठक में पक्ष रखते हैं। वैसे आवेदकों को प्राधिकार द्वारा एक ही बैनर के अंतर्गत वाहन परिचालित करना माना जायेगा एवं किसी एक आवेदक पर जुर्माना लंबित होने की स्थिति में उस बैनर के सभी आवेदकों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(v) कार्यवाही में अंकित एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी वाहनों के कागजात की जाँच करना:- संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सारण प्रमण्डल अंतर्गत को निदेश है कि प्राधिकार की कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों एवं अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों के सभी कागजातों यथा-टैक्स, फिटनेश, बीमा, प्रदूषण, VLT, परमिट आदि की जाँचकर नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा सभी कागजात अद्यतन करवाना सुनिश्चित करेंगे। अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यवाही में अंकित वाहनों के साथ-साथ अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित होने वाले सभी वाहनों की कागजातों की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो एवं कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे।

(vi) कार्यालय में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि कार्यालय में ऑनलाईन या E-mail के माध्यम से आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्य हेतु कार्यालय में आना पड़े तो काउण्टर संख्या-1 पर आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्यालय कर्मियों के कार्य/व्यवहार से असंतुष्ट हो तो आर0टी0ए0 सचिव से इसकी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में कार्यालय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कार्यालय में हंगामा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(vii) समान मार्ग संख्या वाले परमिट से ही कार्यालय अभ्युक्ति :- कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमिटों के प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया जाता है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया जाता है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमिट से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध में विचार किया जाता है, जिसपर आपत्ति प्राप्त हुई है। मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय का टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।

(viii) यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट को निर्गत किया जाना :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा लगातार टाईम स्लॉट में चार-पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है। टाईम-स्लॉट घेर कर रखा जाता है ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सकें।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का VLTD रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम-स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम-स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सके, जिससे कि यात्रीगणों को सुविधा मिल सके।

(ix) स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त बसों का विशेष परमिट प्राप्त कर हमेशा टूर में परिचालन करना:— कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा इस प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट (टाईमिंग परमिट) लेकर इस प्राधिकार से एवं अन्य प्राधिकार से भी विशेष परमिट प्राप्त कर बस का टूर में परिचालन किया जाता है और टाईम स्लॉट घेर कर रखा जाता है, जिससे उस समय-अवधि में बस का परिचालन नहीं होने से आम जनों को यात्रा करने में परेशानी हो सकती है। परमिटधारी द्वारा Modus Operandi के तहत एक रूट में क्रमवार (एक के पीछे एक) अपने बैनर के अंतर्गत चार-पॉच वाहनों का परमिट प्राप्त कर लिया जाता है और उसमें से अपने आखिरी बस से पहले वाले किसी बस का विशेष परमिट प्राप्त कर अन्यत्र स्थानों पर परिचालन किया जाता है, जिससे यात्रियों को उस समय अवधि में कोई वाहन नहीं मिल पाता है और इस परिस्थिति का लाभ उठाकर वाहन स्वामी द्वारा अपने अगले बस में यात्रियों को बस के क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है।

उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया था कि टाईमिंग परमिट प्राप्त बसों का इस प्राधिकार से या अन्य प्राधिकार से भी एक कैलेंडर माह में सिर्फ एक ही बार अधिकतम एक सप्ताह के लिए विशेष परमिट प्राप्त कर परिचालन किये जाने की अनुमति होगी, जिसे वाहन स्वामियों के अनुरोध के आलोक में संशोधित किया जाता है। अब एक कैलेंडर माह में दो बार विशेष परमिट प्राप्त कर परिचालन किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रावधान का अनुपालन नहीं कर अन्य प्राधिकार से विशेष परमिट लेकर टूर पर परिचालन करने वाले बसों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(x) फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई :- प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना, आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा, आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

इस क्रम में आयुक्त-सह-अध्यक्ष के आदेशानुसार दिनांक-28.01.2025 को सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा छपरा शहर में स्थित बीमा कम्पनियों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कतिपय शाखा प्रबंधकों द्वारा बताया गया कि ऐसे कतिपय मामले उनके संज्ञान में भी आये हैं कि बस की बीमा के कागजात देखने में तो वास्तविक प्रतीत होते हैं, परन्तु जाँच के क्रम में वह जाली पाये जाते हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि कई ऐसे भी मामले संज्ञान में आये हैं, जिसकी बीमा विवरणी यथा-बीमा की वैधता अवधि, आदि एम-परिवहन पर भी प्रदर्शित हो रहे थे, परन्तु जाँच के क्रम में पाया गया कि वास्तविकता में वह बीमा या तो जाली है या तो वह बीमा उस बस का न होकर किसी अन्य दुपहिया वाहन अथवा गैर व्यावसायिक वाहन के बीमा पॉलिसी में हेर-फेर (Manipulate) कर बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.04.2025 में सुनवाई के क्रम में शिकायत किया गया था कि निम्नांकित वाहनों का बीमा फर्जी है। इस वाहनों पर प्रदर्शित बीमा बस का नहीं बल्कि दोपहिया वाहन का है:-

(i) वाहन सं०-BR29PA-0160 (बस), वाहन स्वामी श्री बल्लू राय, पिता-श्री दीनानाथ राय, ग्राम-पांडेयपुर, पो०-झूमरहर, थाना-गुठनी, जिला-शिवान।

(ii) वाहन सं०-BR28G-2089 (बस), वाहन स्वामी श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता-श्री ललन सिंह, ग्राम+पो०-सोनवलिया, गोपालगंज।

उक्त दोनों बसों पर प्रदर्शित बीमा की जाँच कराने के पश्चात् पाया गया कि उक्त बसों का बीमा बस का नहीं बल्कि दोपहिये वाहन की है।

(iii) इसी प्रकार BR29P-9935, वाहन स्वामी-श्री धीरज कुमार राय पिता-श्री मंकेशव राय का बीमा फर्जी होने का मामला प्रकाश में आया था, जो कई माहों से फर्जी बीमा के साथ परिचालन किया जा रहा था। जब मामला प्रकाश में आया तो वाहन स्वामी द्वारा दिनांक-26.04.2025 को सही बीमा कराया गया।

उक्त तीनों बसों के वाहन स्वामी/प्रतिनिधि पर दिनांक 21.05.2025 को नगर थाना, छपरा, सारण में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रथमिकी (FIR) दर्ज करा दी गई है।

विदित हो कि फर्जी बीमा के आधार पर वाहन का संचालन करना BNS के तहत गंभीर आपराधिक कृत्य है एवं MV Act, 1988, CMV Rule, 1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही यात्रीगणों को दुर्घटना की स्थिति में कोई मुआवजा/लाभ भी देय नहीं हो सकेगा।

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी बसों का बीमा प्रमाण-पत्र की जाँच सक्षम प्राधिकार/संबंधित ऐजेंसी से करायी जायेगी। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन का परमिट रद्द करने के साथ-साथ संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

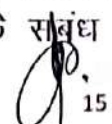
(xi) बैठक के तिथि से दो दिन पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :- वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि वे परमिट जिसके टाइम स्लॉट से किसी आवेदित वाहन के टाइम स्लॉट से टकराव हो रहा हो एवं उस परमिट को वे प्रत्यर्पित करना चाहते हैं, तो वे ऐसे परमिट को प्राधिकार की बैठक की तिथि से दो दिन पूर्व तक कार्यालय में प्रत्यर्पित कर सकते हैं, ताकि उक्त टाइम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत करने पर विचार किया जा सके, अन्यथा उक्त अवधि के बाद परमिट प्रत्यर्पण करने पर प्रत्यर्पित परमिट के टाइम स्लॉट को रिक्त नहीं मानते हुए आवेदित वाहन के परमिट पर विचार किया जायेगा।

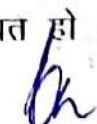
(xii) दो पड़ावों के बीच दूरी :- कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग-अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। इस संबंध में प्राधिकार के पूर्व निर्णय के अनुसार विभागीय पोर्टल में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाता है। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में प्रतिवाद/आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर यदि आवश्यक हुआ तो विभाग को पोर्टल में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा। तत्पश्चात् यदि किसी मार्ग की दूरी में विभाग द्वारा सुधार किया जाता है, तो यह दूरी विभाग द्वारा पोर्टल में सुधार के बाद की तिथि से प्राप्त आवेदन के लिए मान्य होगी।

इस संबंध में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों से पुनः अनुरोध किया गया कि यदि किसी मार्ग की दूरी में भिन्नता हो या दूरी के संबंध में कोई शिकायत हो तो उस मार्ग का नाम,





 15



भाया एवं मार्ग की संख्या सहित उस मार्ग का नक्शा संलग्न कर सुधार हेतु प्राधिकार को आवेदन समर्पित करें। उस आवेदन के आलोक में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच करायी जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो विभागीय पोर्टल में पूर्व से दर्ज दूरी में अपेक्षित सुधार हेतु अनुशंसा विभाग को भेजी जायेगी।

(xiii) High Security Registration Plate :- केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदित वाहनों/आपत्तिकर्ता के वाहनों में H.S.R.P. लगे नहीं होने के कारण जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत किया गया है। अतः सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि अपने वाहन में H.S.R.P. लगवा लें एवं ऑनलाईन भी अपडेट करा लें।

कतिपय वाहनों में स्थानीय दुकानों/फुटपथों पर स्थापित दुकानों द्वारा मूल निबंधन संख्या की जगह दूसरे निबंधन संख्या का फर्जी नम्बर प्लेट लगा दिया जाता है, जिसके कारण E-Challan निर्गत होने पर पता चलता है कि जिस वाहन का चालान निर्गत किया गया है, वह किसी अन्य स्थान पर है। फर्जी निबंधन प्लेटों/नंबर प्लेटों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी बसों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(xiv) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना :- परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है। MMPPY योजना के तहत प्राप्त बसों के मालिकों से अनुरोध है कि वे योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर ही परिचालन हेतु आवेदन समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

10. अन्यान्य :-

(i) परमिट की प्रति वाहन पर चस्पा करने के संबंध में :- प्राधिकार की बैठकों में प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामी एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अमूक व्यक्ति द्वारा अपने वाहन का परिचालन मेरे समय-सारणी के पहले/आगे-आगे कराते हैं एवं मना करने पर कहते हैं कि इस टाईम का परमिट मुझे प्राप्त है तथा परमिट की प्रति दिखाने को कहने पर परमिट की प्रति नहीं दिखाते हैं, जिससे वाहन स्वामियों के बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं।

उपरोक्त के मददेनजर सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वे अपने वाहन के परमिट की छायाप्रति वाहन के अंदर से उचित स्थान पर यथा-window glass आदि पर पठनीय भाग बाहर की ओर करके चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अन्य वाहन स्वामी के साथ-साथ यात्रीगण भी उस बस के समय-सारणी को देख सकें। इससे वाहन स्वामियों के बीच इस बिंदु पर आपसी विवाद उत्पन्न नहीं होगा तथा यात्रिगणों को भी समय की दृष्टिकोण से यात्रा करने में सुविधा होगी।

यदि चस्पा किये गये परमिट की प्रति किसी के द्वारा नुकसान कर दिये जाने या किसी तरह क्षतिग्रस्त होने या अपठनीय होने की स्थिति में समय-सारणी को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद से प्रभावित होने वाले परमिटधारी को दूसरे वाहन के परमिट को देखने का अधिकार होगा।

(ii) नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा। पुनः इस बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि यदि कोई महत्वपूर्ण मार्ग अधिसूचित कराना रह गया हो तो इस आशय का आवेदन प्राधिकार को समर्पित करें।

(iii) विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन :- सभी मोटरयान निरीक्षक, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश है कि यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का भौतिक जाँच/सत्यापन हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है तो नियमानुसार आवेदित वाहन का निरीक्षण/भौतिक जाँच कर वस्तु स्थिति की सूचना विहित प्रपत्र में अंकित करते हुए सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे।

ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मोटरयान निरीक्षक द्वारा वाहनों का भौतिक जाँच/सत्यापन कार्यालय में बैठे-बैठे हीं कर दिया जा रहा है। वाहन को भौतिक रूप से उपस्थित होकर जाँच नहीं किया जाता है सिर्फ विहित प्रपत्र को भरकर खानापूर्ति कर दी जा रही है। अतः निदेश है कि वाहनों का भौतिक जाँच/सत्यापन करते समय GPS युक्त कैमरा से अनिवार्य रूप से साक्ष्य के तौर पर फोटो खींच लिया जाय एवं संबंधित वाहन स्वामी को उपलब्ध करा दिया जाय, जिसकी प्रति वाहन स्वामी सत्यापन प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर परमिट हेतु आवेदन करने पर आवेदन के साथ संलग्न कर कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(iv) दूसरे राज्य में बकाये जुर्माना के संबंध में विकल्प/प्रावधान :- प्राधिकार की विभिन्न बैठकों में बकाये जुर्माने के संबंध में प्रायः यह वाहन स्वामियों द्वारा कहा जाता है कि उनके वाहन पर बकाया जुर्माना अन्य राज्य यथा-उत्तर प्रदेश, आदि राज्य से संबंधित है, जहाँ उनके जुर्माना से संबंधित मामला न्यायालय में चला गया है, जिस कारण उनका जुर्माना शीघ्र/ऑनलाईन माध्यम से जमा नहीं हो पा रहा है। इस क्रम में प्राधिकार की बैठक दिनांक-27.02.2025 में उपस्थित वाहन स्वामी श्री अवधेश प्रसाद, पिता-स्व0 वशिष्ठ प्रसाद, ग्राम-विशुनपुर, थाना-महाराजगंज, जिला-सिवान द्वारा बताया गया कि उनके वाहन सं0-BR29M-7375 पर मात्र 500/-रुपये का जुर्माना बकाया है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे जमा करने हेतु वे कई बार न्यायालय जा चुके हैं एवं इस क्रम में जुर्माने की राशि से कई गुना अधिक राशि खर्च कर चुके हैं। फिर भी उक्त जुर्माना अबतक जमा नहीं हो पाया है। इस बकाये जुर्माने के कारण उनके वाहन का फिटनेस भी अद्यतन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उक्त वाहन का परमिट भी रद्द हो गया। बैठक में दानी मौर्यध्वज बैनर के तरफ से उपस्थित श्री बिरेन्द्र राय द्वारा भी बताया गया कि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन पर बकाया राशि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जहाँ इनका मामला भी न्यायालय में चला गया है, जिस कारण ऑनलाईन माध्यम से अथवा शीघ्र जमा नहीं हो पायेगा।

चूँकि प्राधिकार द्वारा वैसे वाहन स्वामियों, जो सरकार का राजस्व/जुर्माना बकाया रखकर अपने वाहन का परिचालन करते हैं, को प्रोत्साहित नहीं करने एवं बकाया जुर्माना ससमय जमा करने हेतु प्रेरित करने के दृष्टिकोण एवं उद्येश्य से परमिट की स्वीकृति नहीं दी जाती है अथवा पूर्व से बकाये टैक्स/जुर्माना जमा करने के साथ अतिरिक्त जुर्माना के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त स्थिति/प्रावधान के कारण कई बार कतिपय वाहन स्वामी परमिट से वंचित रह जाते हैं।

प्राधिकार की बैठक दिनांक-27.02.2025 में उपस्थित कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा कहा गया कि "हमलोग उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य में या न्यायालय में लंबित है, को यहाँ की शीर्ष में जमा करने के लिए तैयार हैं। कृपया बकाये जुर्माना की राशि यहाँ की शीर्ष में जमा कराकर परमिट की स्वीकृति दिया जाय।"

अतः उपरोक्त के मद्देनजर एवं वाहन स्वामियों के अनुरोध के आलोक में प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

(क) वाहन स्वामी यदि चाहें तो उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य के न्यायालय में लंबित है, जो शीघ्र जमा नहीं हो पा रहा है, को Tax Receipt शीर्ष R0041001020014-00-03 में अपने स्वेच्छा से एक शपथ-पत्र के साथ जमा करते हैं, तो परमिट की स्वीकृति एवं निर्गमन की जा सकेगी, परन्तु शपथ-पत्र इस आशय का संलग्न होना अनिवार्य होगा कि अमूक राशि अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जमा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण अपने स्वेच्छा से परमिट प्राप्त करने हेतु उक्त राशि जमा कर रहा हूँ/कर रही हूँ एवं जमा की गई उक्त राशि वापस लेने हेतु भविष्य में कभी दावा नहीं करूँगा/करूँगी तथा अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन जुर्माना भी जब जमा होगा, तब जमा कर दूँगा/कर दूँगी।

(ख) जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी एवं अमूक राज्य में/अमूक राज्य के न्यायालय में लंबित जुर्माने की राशि से मुक्ति नहीं होगी। यानि बकाया राशि भविष्य में उस राज्य/ न्यायालय में भी जमा करना होगा।

(ग) उपरोक्त प्रावधान सिर्फ वैकल्पिक होगा। आवेदक यदि चाहें तो उक्त विकल्प को नहीं मानकर बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् पुनः परमिट हेतु आवेदन कर सकते हैं।

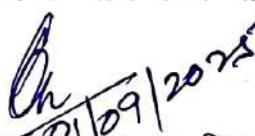
(v) नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का अवैध परिचालन करने संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में :- विभिन्न स्रोतों से एवं प्राधिकार की बैठक में भी कतिपय आवेदकों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि झारखंड एवं बिहार निबंधन संख्या वाले कुछ वाहनों को सारण प्रमंडल अंतर्गत मार्गों यथा-सारण, सिवान, गोपालगंज से रॉंची, टाटा, बोकारो (झारखंड), दिल्ली के मार्गों पर अवैध ढंग से परिचालन किया जा रहा है। इन बसों के पास न तो परमिट होते हैं और न ही इनके कागजात यथा-टैक्स, बीमा, आदि अद्यतन होते हैं।

बस का निबंधन चाहे किसी भी राज्य में हुआ हो, सभी को सामान रूप से नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है। सभी वाहनों को वैध परमिट एवं वांछित टैक्स व अद्यतन कागजातों के साथ ही परिचालन करना है। बिना परमिट एवं अद्यतन कागजातों के किसी भी वाहन का परिचालन करना नियमाकूल नहीं है। यदि ऐसे वाहनों का परिचालन सारण RTA के क्षेत्र में किया जा रहा है तो उसकी जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करते हुए उसके परिचालन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं RTA, सचिव को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त में वर्णित शिकायतों के आलोक में अपने टीम के साथ उपरोक्त तथ्यों की जाँच करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत किसी भी ऐसे वाहन का परिचालन नहीं किया जा रहा है, जिसके पास वैध परमिट न हो एवं जिसका कागजात अद्यतन न हो।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।


अपर समाहर्ता, सारण (राजस्व)
-सह-
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण छपरा।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।


आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 270 / सारण, दिनांक 01 / 09 / 2025

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सारण प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परि० प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सारण/सीवन/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।


01/09/25


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

1

19

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा के बैठक

दिनांक-29.08.2025 की कार्यवाही।

समय:-12:00 बजे मध्यान् से,

स्थान:- आयुक्त कार्यालय सभागार में।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक दिनांक-29.08.2025 की कार्यवाही:-				पृष्ठ सं०
कार्यावली सं०-01	1	गत बैठक दिनांक-01.08.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।		
कार्यावली सं०-02		प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।		
	(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1-28 दिन तक)		
	(ii)	नेशनल परमिट का ऑथोराइजेशन (एक वर्ष)		
	(iii)	सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमितों की सूची।		
	(iv)	स्थायी सवाड़ी गाड़ी के प्रतिस्थापित किये गए परमितों की सूची।		
	(v)	स्थायी सवाड़ी गाड़ी के नवीकरण किये गए परमितों की सूची।		
	(vi)	प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवाड़ी गाड़ी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या।		
कार्यावली सं०-03	(i)	बसों के स्थायी परमिट (स्टेज कैरेज परमिट) निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण।		परिशिष्ट-II
	(ii)	अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवाड़ी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों एवं पूर्व से लंबित आवेदनों पर विचारण।		परिशिष्ट-III
	(iii)	एजेन्ट लाईसेंस।		परिशिष्ट-IV

परिशिष्ट-I

कार्यावली सं०-01	
गत बैठक दिनांक-01.08.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	अनुपालन किया जा रहा है।
कार्यावली सं०-02(i-vi)	
प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची, दिनांक-01.08.2025 से 27.08.2025 तक।	
(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1-28 दिन तक) -15
(ii)	नेशनल परमिट का ऑथोराइजेशन (एक वर्ष)- शून्य
(iii)	सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमितों की सूची-00
(iv)	स्थायी सवारी गाड़ी के प्रतिस्थापित किये गए परमितों की सूची-01
(v)	स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गए परमितों की सूची-01
(vi)	प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवाड़ी गाड़ी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या-07

कार्यावली संख्या-3(i) बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों एवं आपतियों पर विचारण:-

परिशिष्ट-II

प्राप्त आवेदनों की विवरणी				प्राप्त आपत्ति से संबंधित विवरणी		कार्यालय स्तर पर की गई समीक्षा की विवरणी		
क्रं 0स 0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातों की वैधता	मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन की विवरणी	कार्यालय का तथ्य	कार्यालय तथ्य में वर्णित वाहन की विवरणी	निर्णय
1.	श्री शम्भू सिंह पिता-श्री मुसाफिर सिंह ग्राम-मधरी, पो0- साघर सुल्तानपुर, थाना-भगवानपुर हाट, जिला-सिवान। बैनर का नाम- शिव दानी	BR29PA-6515 नि0तिथि 21.05.19 टैक्स-16.08.2025 फिटनेश-09.08.27 बीमा-27.05.26 प्रदूषण-06.06.26 VLTD-22.07.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-नहीं	बसन्तपुर-छपरा मार्ग सं0-4093 बसन्तपुर प्र0-08:02 छपरा प्र0 -11:49 बसन्तपुर प्र0-15:01 छपरा प्र0 -18:15	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार दिनांक- 24.08.2022 को निर्गत है। आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं है। साथ ही शिवदानी बैनर के अंतर्गत वाहन सं0-BR04PA-0250 पर 500/-रु0 का जुर्माना दिनांक-12. 08.25 से बकाया है।		आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं होने के कारण मो0 5000/-एव शिवदानी बैनर के अंतर्गत वाहन पर बकाया जुर्माना बैठक की तिथि तक जमा नहीं करने की स्थिति में मो0 5000/- यादि कुल-10000/- रु0 जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत।
2.	श्री शम्भूनाथ सिंह पिता-श्री मुसाफिर सिंह ग्राम-मधरी, पो0- साघर सुल्तानपुर, थाना-भगवानपुर हाट, जिला-सिवान। बैनर का नाम- शिव दानी	BR29E-4681 नि0ति0-03.12.08 टैक्स-31.08.25 फिट0-11.12.25 बीमा-29.11.25 प्रदूषण-04.12.25 VLTD-26.03.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-नहीं	बसन्तपुर-छपरा मार्ग सं0-4093 छपरा प्र0-06:45 बसन्तपुर प्र0-14:05	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है। आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं है। साथ ही शिवदानी बैनर के अंतर्गत वाहन सं0-BR04PA-0250 पर 500/-रु0 का जुर्माना दिनांक-12. 08.25 से बकाया है।		आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं होने के कारण मो0 5000/- रु0 के शर्त पर एव उक्त क्रमांक-1 में लगाये गये जुर्माना के अनुपालन की स्थिति में परमिट स्वीकृत।
3.	श्री आदित्य कुमार गुप्ता, पिता- स्व0 प्रेमचन्द्र गुप्ता, ग्राम- पो0- किशुनपाली, थाना-दरौली जिला-सिवान बैनर का नाम- न्यू शक्तिमान	BR29PB-1316 नि0तिथि-19.01.22 टैक्स-24.09.25 फिटनेश-22.01.26 बीमा-01.12.25 प्रदूषण-04.07.26 VLTD-27.06.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	सिवान-दरौली मार्ग सं0-3663 डा0 सिवान प्र0-02:55 दरौली प्र0-04:45 सिवान प्र0-07:57 दरौली प्र0-11:10 सिवान प्र0-13:43 दरौली प्र0-16:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है। आवेदित समय-सारणी में कई बिंदुओं पर समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है, जिसे आगमन एवं प्रस्थान के आधार पर सशोधित करने पर परिलक्षित होता है कि तृतीय ट्रिप में मैरवा से सिवान की दूरी 29km अंकित करते हुए उसे 100 मिनट में तय करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अनुसार गति सीमा 17.4 km/h हो रहा है, जो प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन है।		मैरवा से सिवान के मध्य न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन होने के कारण आवेदन अस्वीकृत।

4	श्रीमती शोमा देवी, पति-अमय कुं सिंह, ग्राम+पो0-देवापुर, थाना-वरौली, जिला-गोपालगंज। वैनर का नाम- अभिषेक कोच।	BR28P-9711 नि0तिथि-11.12.19 टैक्स-27.09.25 फिटनेश-25.12.25 वीमा-03.12.25 प्रदूषण-03.07.26 VLTD-27.07.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	वढेया-गौशाला रोड सिवान मार्ग सं0-3784डा0 वढेया प्र0-05:40 गौशाला रोड सिवान प्र0 -08:40 वढेया प्र0-10:45 गौशाला रोड सिवान प्र0 -13:48 वढेया प्र0-15:30 गौशाला रोड सिवान प्र0 -17:22	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है। आवेदित समय-सारणी में कई विदुओं पर समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है, जिसे आगमन एवं प्रस्थान के आधार पर सशोधित करने पर परिलक्षित होता है कि प्रथम ट्रिप में वरौली से विष्णुपुरा की दूरी 6km अंकित करते हुए उसे 20 मिनट में तय करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अनुसार गति सीमा 18 km/h हो रहा है। जबकि प्राधिकार के पूर्व निर्णयानुसार 6km के मध्य न्यूनतम गति सीमा 20km/h होना चाहिए।	न्यूनतम गति सीमा के बिन्दु पर आवेदिका की ओर से उपस्थित श्री हरि नारायण शर्मा द्वारा बताया गया कि वरौली से विष्णुपुरा रोड की स्थिति बहुत खराब है। जगह-जगह टुटा हुआ है। वाहन को तेज गति से चलाने पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। बैठक में उपस्थित अन्य वाहन स्वामियों द्वारा भी उक्त तथ्यों का समर्थन किया गया। उक्त को मद्देनजर रखते हुए समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किये जाने के कारण मो0 5000/- रु0 जुर्माना के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
5	श्री प्रमोद कुमार सिंह पिता-भारत भूषण सिंह, पता-झाखडा, पिपरा कोठी, पू0 चम्पारण। वैनर का नाम- रमणा।	BR05PB-0347 नि0तिथि 16.02.19 टैक्स-12.11.25 फिट0-28.02.27 वीमा-10.02.26 प्रदूषण-11.11.25 VLTD-06.03.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	सिवान-मोतिहारी मार्ग सं0-2199 सिवान प्र0-03:33 मोति0 प्र0-07:29 सिवान प्र0-12:24 मोति0 प्र0-18:22	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार दिनांक- 21.06.2023 को निर्गत है।	स्वीकृत।
6	श्री मुकेश कुमार, पिता-श्री जलेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम-दहियावाँ टोला, पो0-छपरा, थाना-नगर, जिला-सारण वैनर का नाम- गोपाल	BR04PA-8825 नि0तिथि-09.04.25 टैक्स-01.04.26 फिटनेश-08.04.27 वीमा-25.03.26 प्रदूषण-08.04.26 VLTD-13.04.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	दिधवादुवाली-छपरा मार्ग सं0-3818 दिधवादुवाली प्र0-04:15 छपरा प्र0-10:24 दिधवादुवाली प्र0-12:10 छपरा प्र0-15:20 दिधवादुवाली प्र0-17:25 छपरा प्र0-19:55	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।
7	श्री प्रमोद कुं सिंह, पिता-सुदामा सिंह, ग्राम+पो0-कौडिया थाना-मगवानपुर, जिला-सिवान वैनर का नाम- मुन्ना डिलक्स	BR29PB-0177 नि0तिथि-25.07.23 टैक्स-24.10.2025 फिटनेश-23.07.27 वीमा-11.05.26 प्रदूषण-02.07.26 VLTD-04.08.27 H.S.R.P-हाँ। जुर्माना-नहीं।	छपरा-महम्मदपुर मार्ग सं0-3764 छपरा प्र0 -05:10 महम्मदपुर प्र0-09:35 छपरा प्र0 -13:23 महम्मदपुर प्र0-17:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार दिनांक- 19. 10.2023 को निर्गत है।	स्वीकृत।

8.	श्री मिथिलेश कुमार, पिता-श्री जलेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम-दहियावों टोला, पो0-छपरा, थाना-नगर, जिला-सारण बैनर का नाम- गोपाल	BR04J-2360 नि0ति0-01.02.11 टैक्स-30.09.25 फिट0-17.01.26 बीमा-28.11.25 प्रदूषण-04.09.25 VLTD-15.12.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	छपरा-दिधवादुबौली मार्ग सं0-3817 छपरा प्र0-05:45 दिधवादुबौली प्र0-08:15 छपरा प्र0-11:45 दिधवादुबौली प्र0-13:35 छपरा प्र0-18:18 दिधवादुबौली प्र0-20:10	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।		स्वीकृत।
9.	श्री मिथिलेश कुमार, पिता-श्री जलेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम-दहियावों टोला, पो0-छपरा, थाना-नगर, जिला-सारण बैनर का नाम- गोपाल	BR04GA-5555 नि0तिथि 26.10.16 टैक्स-25.10.2025 फिटनेश-07.01.26 बीमा-12.11.25 प्रदूषण-04.11.25 VLTD-12.12.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	दिधवादुबौली-छपरा मार्ग सं0-3818 दिधवादुबौली प्र0-04:05 छपरा प्र0-07:30 दिधवादुबौली प्र0-09:25 छपरा प्र0-14:25 दिधवादुबौली प्र0-16:11 छपरा प्र0-18:35	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।		स्वीकृत।

10.	श्री राजु कुमार साह, पिता-रामानंद साह, ग्राम-जगदीशपुर, पो0-देव बहुआरा, थाना-मढौरा, जिला-सारण बैनर का नाम- स्वास्तीक	BR01PS-9798 नि0तिथि-09.06.25 टैक्स-03.09.25 फिटनेस-08.06.27 बीमा-29.05.26 प्रदूषण-08.06.26 VLTD-30.07.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	सिवान-छपरा मार्ग सं0-3977डा0 सिवान प्र0-04:30 छपरा प्र0-09:10 सिवान प्र0-11:54 छपरा प्र0-15:37	(1) आपत्तिकर्ता-श्री अजय कुमार, पिता-श्री शिवनाथ राय, परमिट सं0- BR/109/SC/2018/68 आवृत वाहन सं0-BR04PA-8113 मार्ग- भागीपट्टी-पटना, मार्ग सं0- आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है:- आवेदक सिवान प्र0-04:30 आपत्तिकर्ता सिवान प्र0-04:34 अंतराल-04 मिनट आवेदक सिवान से छपरा 65कि0मी0 तक सभी बिन्दुओं पर हमारी गाडी के 1 मिनट आगे-आगे का समय मांगा है, <table><tr><td></td><td>आवेदक</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>(क) रसूलपुर-</td><td>05:09</td><td>05:10</td></tr><tr><td>(ख) एकमा-</td><td>05:18</td><td>05:19</td></tr></table> आवेदक समय-सारणी का परमिट लेकर उस समय पर गाडी का परिचालन नहीं करते हैं, समय-सारणी को घेर कर रखते हैं। आवेदक का अन्य वाहन सं0-BR04N-0666 हमेशा दरवाजे पर खडी रहती है। (2) आपत्तिकर्ता-श्री मनोज यादव, पिता-श्री गौरी शंकर यादव, परमिट सं0- BR2025-SC-1621A आवृत वाहन सं0-BR29PB-6513 मार्ग- सिवान-छपरा, मार्ग सं0-3977 डा0 आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है:- <table><tr><td></td><td>आवेदक</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>(क) सिवान-</td><td>04:30</td><td>04:50</td></tr><tr><td>(ख) छपरा-</td><td>09:10</td><td>09:17</td></tr><tr><td>(ग) सिवान-</td><td>11:54</td><td>12:01</td></tr><tr><td>(घ) छपरा-</td><td>15:37</td><td>16:50</td></tr></table> आवेदक के परिचालन में गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। जैसे एकमा से रसूलपुर के बीच। साथ ही दरौंधा से रसूलपुर की 11कि0मी0 को 12 कि0मी0 दर्शाया गया है।		आवेदक	आपत्तिकर्ता	(क) रसूलपुर-	05:09	05:10	(ख) एकमा-	05:18	05:19		आवेदक	आपत्तिकर्ता	(क) सिवान-	04:30	04:50	(ख) छपरा-	09:10	09:17	(ग) सिवान-	11:54	12:01	(घ) छपरा-	15:37	16:50	BR04PA-8113 नि0तिथि-12.04.17 टैक्स-11.10.25 फिट0-12.08.26 बीमा-05.06.26 प्रदूषण-19.03.26 VLTD-14.07.26 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	प्रथम आपत्तिकर्ता के मामले में कॉमन रुट 40 प्रतिशत से कम है। ऐसी स्थिति में आपत्ति मान्य नहीं है। दूसरे आपत्तिकर्ता द्वारा समय अंतराल को लेकर जिस-जिस बिंदु पर आपत्ति किया गया है, वहाँ पर न्यूनतम समय अंतराल का अनुपालन हो रहा है। एकमा से रसूलपुर एवं दरौंधा से रसूलपुर के मध्य भी गति सीमा का उल्लंघन होने का मामला नहीं बन रहा है। अतएव यह भी आपत्ति मान्य नहीं है। अतः परमिट स्वीकृत।
	आवेदक	आपत्तिकर्ता																													
(क) रसूलपुर-	05:09	05:10																													
(ख) एकमा-	05:18	05:19																													
	आवेदक	आपत्तिकर्ता																													
(क) सिवान-	04:30	04:50																													
(ख) छपरा-	09:10	09:17																													
(ग) सिवान-	11:54	12:01																													
(घ) छपरा-	15:37	16:50																													

2

A




11.	श्री अखिलेश्वर राय, पिता-कपिलदेव राय, ग्राम-टेपहा, पो0+थाना-जिरादेई, जिला-सिवान बैनर का नाम- सियाराम।	BR29G-4107 नि0तिथि-07.05.10 टैक्स-31.10.25 फिटनेश-16.04.26 बीमा-30.06.26 प्रदूषण-06.02.26 VLTD-27.04.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	मेहरौना पुल-सिवान मार्ग सं0-3696 मेहरौना प्र0-09:37 सिवान प्र0-15:10	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है। कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं0-BR29PB-1183, परमिट सं0- BR2025-SC-1890A वैधता-02.07.2030 का मेहरौना में प्र0 समय 09:40 तथा आवेदक का प्र0 समय 09:37 है। अंतराल 03 मिनट साथ ही सियाराम बैनर के अंतर्गत वाहन सं0-BR29PA-2522 पर 10000/-रु0 का जुर्माना दिनांक-06.08.25 से बकाया है।	BR29PB-1183 नि0तिथि-06.04.21 टैक्स-11.10.25 फिट0-16.04.27 बीमा-23.03.26 प्रदू0-08.05.26 VLTD-12.05.27	कार्यालय तथ्य में उल्लेखित वाहन से प्रारम्भिक बिंदु मेहरौना में समय का टकराव होने की स्थिति में ट्रिप कटाव के कारण आवेदन अस्वीकृत।
12.	श्री अनिल राय, पिता-स्व0 दरोगा राय, ग्राम-ग्यासपुर, पो0-रसुलपुर, थाना-अमनौर, जिला-सारण, बैनर का नाम- बाबा ट्रेवल्स	BR04N-5819 नि0तिथि-20.05.14 टैक्स-04.09.25 फिटनेश-15.12.25 बीमा-27.02.26 प्रदूषण-11.12.25 VLTD-19.09.25 जुर्माना-हॉ 2200 H.S.R.P-हॉ	जगदीशपुर-छपरा मार्ग सं0-3699 जगदीशपुर प्र0 -07:10 छपरा प्र0-13:00 जगदीशपुर प्र0 -14:43 छपरा प्र0-16:35	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत्त है, जो इस प्राधिकार दिनांक- 30.01.2020 को निर्गत है। आवेदित वाहन पर 2200/-रु0 एवं इनके बैनर के अंतर्गत वाहन सं0-BR04G-4263 पर 22500/-रु0 का जुर्माना दिनांक-18.03.25 से बकाया है। साथ ही उक्त वाहन का फिटनेश, प्रदूषण, बीमा एवं VLTD फेल है। हालांकि उक्त वाहन परमिट से आवृत्त नहीं है। आवेदित समय-सारणी में कई बिंदुओं पर समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है, जिसे आगमन एवं प्रस्थान के आधार पर सशोधित करने पर परिलक्षित होता है कि द्वितीय ट्रिप में सेन्दुआरी से टेहटी की दूरी 5km अंकित करते हुए उसे 3 मिनट में तय करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अनुसार गति सीमा 100 km/h हो रहा है, जो अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन है।		सेन्दुआरी से टेहटी के मध्य अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन होने के कारण आवेदन अस्वीकृत।
13.	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, पति-स्व0 मुन्नी सिंह, ग्राम-सादीपुर, पो0+थाना-गोरेया कोठी, जिला-सिवान बैनर का नाम- पियुष ट्रेवल्स	BR28G-3301 नि0तिथि 22.08.13 टैक्स-13.11.25 फिटनेश-20.03.26 बीमा-29.03.26 प्रदूषण-24.04.26 VLTD-28.07.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	बढ़ैया मोड़-छपरा मार्ग सं0-4112 बढ़ैया मोड़ प्र0 -04.45 छपरा प्र0-12:55	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत्त है, जो इस प्राधिकार दिनांक- 13.08.2020 को निर्गत है।		स्वीकृत।

14.	श्री जितेन्द्र नारायण सिंह, पति-स्व० पृथ्वीनाथ सिंह, ग्राम-परौली, थाना- लकडी नवीगंज, जिला-सिवान बैनर का नाम- दिपक।	BR04G-7745 नि० तिथि-01.10.09 टैक्स-31.10.25 फिटनेश-11.03.26 बीमा-25.01.26 प्रदूषण-11.09.25 VLTD-10.11.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	जनता बाजार-सिवान मार्ग सं०-3801 जनता बाजार प्र०-05:00 सिवान प्र०-13:40	आपत्तिकर्ता-श्री मोहित कुमार ओझा, पिता- श्रीकांत ओझा, परमिट सं०-BR2025-SC-0634A आवृत वाहन सं०- BR29PA-9819 मार्ग- छपरा-बसंतपुर, मार्ग सं०-4095 डा० आपत्तिकर्ता द्वारा ठहराव बिंदुओं के मध्य दूरी के बिंदु पर आपत्ति की गई है, जो आवेदक एवं आपत्तिकर्ता के अनुसार निम्नवत् है- आवेदक आपत्तिकर्ता (क) मिराटोल-बसौली- 02 04 Km (ख) नवीगंज-मदारपुर- 05 09 Km (ग) खवासपुर-अफराद- 09 15 Km (घ) अफराद-सिवान- 15 19 Km (ङ) जनताबाजार-सिवान- 41 56 Km इस प्रकार Up और Down की कुल दूरी 112कि०मी० हो रही है एवं आवेदक की वाहन 16 साल पुरानी है, जिसे नियमानुसार 100कि०मी० तक परिचालन करना है।	BR29PA-9819 नि० तिथि-31.01.20 टैक्स-29.10.25 फिट०-07.02.26 बीमा-25.12.25 प्रदूषण-16.07.26 VLTD-02.08.27 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार दि०- 20.08.2020 को निर्गत है। आवेदित वाहन के बैनर दिपक के अंतर्गत वाहन सं०-BR29PB-0985 पर 1000/-रु० का जुर्माना दिनांक-26.07.25 से बकाया है। समय-सारणी में दो बिंदुओं पर समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है, जिसे सुधार करने के पश्चात् गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आवेदित मार्ग सं० - 3801 का पोर्टल पर दर्ज दूरी 41 कि०मी० है।	चूंकि आवेदित मार्ग का विभागीय पोर्टल पर कुल दूरी 41 कि०मी० दर्ज है, जिसके अनुसार जाने-आने की दूरी 82 कि०मी० हो रहा है। अतः पोर्टल पर दर्ज दूरी को सही मानते हुए बैनर के अंतर्गत वाहन पर पूर्व से बकाया जुर्माना आवेदन करने से पूर्व जमा न कर बैठक से पूर्व जमा करने की स्थिति में मो० 5000/- एवं समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किये जाने के कारण मो० 5000/- यानि कुल- 10000/-रु० जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत।
15.	श्री देवेन्द्र कुमार पिता-धुवनाथ प्रसाद, पता-भवानीपुर जिरात, मोतिहारी। बैनर का नाम- NRA गुड़िया।	BR06PC-9747 नि० तिथि-09.04.16 टैक्स-08.10.25 फिटनेश-18.09.25 बीमा-06.09.25 प्रदूषण-27.07.26 VLTD-23.07.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	गुठनी-रक्सौल मार्ग सं०-3675 गुठनी प्र०-05:10 रक्सौल प्र०-12:54	आपत्तिकर्ता-श्री आलोक कुमार पांडे, पिता- श्री रामऐकबाल पांडे, परमिट सं०- BR2024-SC-2063A आवृत वाहन सं०- BR05PB-7388 मार्ग- रक्सौल-सिवान, मार्ग सं०-2465 डा० आवेदक का परमिट मुजफ्फरपुर प्राधिकार से निर्गत है तथा आवेदक का पूर्व से वाहन सं०-BR06PC-9747 का परमिट सं०- BR2024-SC-2973A है तथा परमिट का अवधि 18.12.2029 तक है और मार्ग सं०-2465 है। आवेदनकर्ता पुनः उसी वाहन का आवेदन गुठनी से रक्सौल किए हैं तथा मार्ग सं०-3675 है, जो मार्ग भिन्न है। आवेदक का अन्य वाहन सं०-BR06GC-9747 है, जिसका परमिट सं०-BR2024-SC-2598A है। रक्सौल से सिवान के लिए इनका प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार से अस्वीकृत है तथा परिचालन करते हैं।	BR05PB-7388 नि० तिथि-05.07.24 टैक्स-29.09.25 फिट०-04.07.26 बीमा-03.07.26 प्रदूषण-14.07.26 VLTD-24.07.26 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो मुज० प्राधिकार दिनांक-19.12.2024 को निर्गत है। आवेदित वाहन के बैनर NRA गुड़िया के अंतर्गत संचालित वाहनों यथा- BR06PA-0955, BR06PE-5485, BR06PF-1859 & BR06PF-7592 पर कुल 30728/-रु० का जुर्माना बकाया है, जिसमें सबसे पुराना बकाया दिनांक-30.06.25 का है। साथ ही कई वाहनों यथा-BR06PF-1859, BR06PF-7591 & BR06PF-7592 का VLTD भी अद्यतन नहीं है। उक्त वाहनों पर बकाया जुर्माना बैठक से पूर्व जमा कर दिया गया है एवं VLTD भी अद्यतन करा लिया गया है।	सामान्य स्थिति में आवेदन करने पूर्व पहले से धारित परमिट को प्रत्यर्पण करना अनिवार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आपत्ति का यह बिंदु मान्य नहीं है। जहाँ तक वाहन सं०-BR06GC-9747 का परमिट प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने के पश्चात् परिचालन करने का प्रश्न है, तो इस मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करने हेतु DTO, सिवान को निदेशित करने का निर्णय लिया गया है। अतः आवेदित बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनो पर बकाया जुर्माना एवं VLTD आवेदन करने से पूर्व अद्यतन न कराकर बैठक से पूर्व अद्यतन कराने की स्थिति में मो० (5000 + 5000) यानि कुल- 10000/- रु० जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत। अनुपालन- सचिव, RTA, सारण।

16.	मो0 निजामुद्दीन, पिता-स्व0 अब्दुल हकीम, रन्दरपुर, हरिहरपुर, गोपालगंज बैनर का नाम-	BR28P-4304 नि0तिथि-09.07.25 टैक्स-27.09.25 फिटनेश-08.07.27 बीमा-08.07.26 प्रदूषण-08.07.26 VLTD-29.07.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	सिवान-मोतिहारी मार्ग सं0-2199 सिवान प्र0-04.45 मोति0 प्र0-08.48 सिवान प्र0-13.08 मोति0 प्र0-16.57	आपत्तिकर्ता-श्री आलोक कुमार पांडे, पिता-श्री रामरैकवाल पांडे, परमिट सं0- BR2024-SC-2063A आवृत वाहन सं0- BR05PB- 7388 मार्ग- रक्सौल-सिवान, मार्ग सं0-2465 डा0 आवेदक का बस KGN बैनर के अंतर्गत संचालित होता है। इनका अन्य चार वाहन का बीमा फर्जी है। KGN बस का संचालक राजेश कुमार द्वारा किया जाता है। 1.BR28E-8251- 3372/60431282/000101 2.BR06PD-6732- 3372/005000116/000/01 3.BR31P-1659- 3004/403023404/00/000 4.BR28P-4851- N3389848 है। इनके वाहन का बीमा फर्जी है, जो जाँच का विषय है।	BR05PB-7388 नि0तिथि-05.07.24 टैक्स-29.09.25 फिट0-04.07.26 बीमा-03.07.26 प्रदूषण-14.07.26 VLTD-24.07.26 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से कहा गया है कि मेरा बस KGN बैनर के अंतर्गत नहीं चलता है। KGN बैनर से मेरा कोई लेना- देना नहीं है। मेरे बस पर भी कोई बैनर का नाम नहीं लिखा हुआ है। इस आपत्ति को गलत एवं निराधार बताया गया है।	BR05PB-5361 नि0तिथि-24.03.21 टैक्स-21.08.25 फिट0-19.05.27 बीमा-03.07.26 प्रदू0-09.05.26 VLTD-24.04.26	चूँकि आवेदित वाहन का बीमा फर्जी होने का कोई आरोप या तथ्य सामने नहीं आया है, जहाँ तक आपत्ति में उल्लेखित KGN बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों का बीमा फर्जी होने के प्रश्न है, तो इस मामले में जाँच कर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु संबंधित DTOs को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। अतः परमिट स्वीकृत। अनुपालन- सचिव, RTA, सारण।
17	अब्दुल हनान, पति-हारून रसीद, पता-तकिया, याकूब, गोपालगंज। बैनर का नाम-	BR01PP-4647 नि0तिथि 23.09.22 टैक्स-11.09.2025 फिटनेश-22.09.26 बीमा-11.09.2025 प्रदूषण-16.09.25 VLTD-14.10.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	गुठनी-रक्सौल मार्ग सं0-3675डा0 गुठनी प्र0-04.07 रक्सौल प्र0-11.00	आपत्तिकर्ता-श्री आलोक कुमार पांडे, पिता-श्री रामरैकवाल पांडे, परमिट सं0- BR2024-SC-2063A आवृत वाहन सं0- BR05PB- 7388 मार्ग- रक्सौल-सिवान, मार्ग सं0-2465 डा0 आवेदक का बस KGN बैनर के अंतर्गत संचालित होता है। इनका अन्य चार वाहन का बीमा फर्जी है। KGN बस का संचालक राजेश कुमार द्वारा किया जाता है। 1.BR28E-8251- 3372/60431282/000101 2.BR06PD-6732- 3372/005000116/000/01 3.BR31P-1659- 3004/403023404/00/000 4.BR28P-4851- N3389848 है। इनके वाहन का बीमा फर्जी है, जो जाँच का विषय है।	BR05PB-7388 नि0तिथि-05.07.24 टैक्स-29.09.25 फिट0-04.07.26 बीमा-03.07.26 प्रदूषण-14.07.26 VLTD-24.07.26 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।		आवेदन वापस।

18	श्री सुनील कुमार दुबे, पति-स्व० मनन दुबे, पता-डाक बगला रोड, सिवान। बैनर का नाम- सतीश	BR29H-5235 नि०तिथि-30.03.07 टैक्स-30.09.25 फिटनेश-16.06.26 बीमा-10.03.26 प्रदूषण-11.01.26 VLTD-09.07.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	सिवान-वसंतपुर मार्ग सं०-3980डा० वसंतपुर प्र०-09:00 सिवान प्र०-12:05	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।		स्वीकृत।
19	अजमेरी खालुन, पति-स्व० अब्दु सलाम, ग्राम-तकिया याकूब, पो०+थाना+जिला-गोपालगंज बैनर का नाम- दानिश।	BR28L-4647 नि०तिथि 08.09.15 टैक्स-28.10.2025 फिटनेश-28.08.25 बीमा-28.08.2025 प्रदूषण-13.06.26 VLTD-11.05.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	सिवान-गोपालगंज मार्ग सं०-2191 सिवान प्र०-03:55 गोपा० प्र०-07:11 सिवान प्र०-08:56 गोपा० प्र०-10:39 सिवान प्र०-13:40 गोपा० प्र०-15:53 सिवान प्र०-17:57 गोपा० प्र०-19:35 सिवान प्र०-21:09 गोपा० प्र०-23:15	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार दिनांक- 06.12.2024 को निर्गत है। कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-BR19F-3339, परमिट सं०- BR2025-SC-0277A वैधता-03.02.2030 का सिवान में प्र० समय 03:55 तथा आवेदक का प्र० समय 03:55 है। अंतराल 00 मिनट	BR19F-3339 नि०ति०-02.05.13 टैक्स-16.09.25 फिट०-03.11.25 बीमा-02.02.26 प्रदू०-01.08.26 VLTD-12.10.25	कार्यालय तथ्य में उल्लेखित वाहन से प्रारम्भिक बिंदु सिवान में समय का टकराव होने की स्थिति में प्रथम ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।
20	अब्दुल हनान, पति-हारून रसीद, पता-तकिया, याकूब, गोपालगंज। बैनर का नाम- दानिश।	BR28P-8032 नि०तिथि-25.09.24 टैक्स-23.09.2025 फिटनेश-24.09.26 बीमा-23.09.25 प्रदूषण-24.09.25 VLTD-19.01.29 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	सिवान-गोपालगंज मार्ग सं०-2191 सिवान प्र०-04:25 गोपा० प्र०-06:30 सिवान प्र०-09:10 गोपा० प्र०-11:40 सिवान प्र०-13:45 गोपा० प्र०-15:58 सिवान प्र०-18:05 गोपा० प्र०-19:29 सिवान प्र०-20:35 गोपा० प्र०-21:55 सिवान प्र०-23:20 गोपा० प्र०-00:35	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार दिनांक- 04.11.2024 को निर्गत है। कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-BR19F-3339, परमिट सं०- BR2025-SC-0277A वैधता-03.02.2030 का गोपालगंज में प्र० समय 16:02 तथा आवेदक का प्र० समय 15:58 है। अंतराल 04 मिनट आवेदित समय-सारणी में एक बिंदु पर समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है, जिसे आगमन एवं प्रस्थान के आधार पर संशोधित करने पर परिलक्षित होता है कि प्रथम ट्रिप में गीरगंज से सिवान की दूरी 16km को 90 मिनट में तय करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अनुसार गति सीमा 10.66 km/h हो रहा है, जो प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन है।	BR19F-3339 नि०ति०-02.05.13 टैक्स-16.09.25 फिट०-03.11.25 बीमा-02.02.26 प्रदू०-01.08.26 VLTD-12.10.25	गीरगंज से सिवान के मध्य न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन होने के कारण आवेदन अस्वीकृत।

21	श्री सत्येन्द्र नाथ मिश्रा, पिता-स्व० ठाकुर मिश्रा, पता-राजा बाजार, मोतिहारी। बैनर का नाम- मिश्रा बन्धु।	BR06PF-0866 नि०तिथि-03.02.21 टैक्स-02.11.25 फिटनेश-26.03.27 बीमा-09.01.2026 प्रदूषण-03.10.25 VLTD-19.03.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	सिवान-मोतिहारी मार्ग सं०-2199 सिवान प्र०-05:20 मोति० प्र०-09:10 सिवान प्र०-14:05 मोति० प्र०-18:02	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है। आवेदित वाहन के बैनर मिश्रा बन्धु के अंतर्गत संचालित वाहन सं०- BR06PD-7689 का VLTD दिनांक-10.07.25 से फेल है, जबकि उक्त वाहन परमिट से आवृत्त है। उक्त वाहन का VLTD अद्यतन करा लिया गया है।	आवेदित बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन सं०- BR06PD-7689 का VLTD आवेदन करने से पूर्व अद्यतन न कराकर बैठक से पूर्व अद्यतन कराने की स्थिति में मां० 5000/- रु० जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत।
22	श्रीमति माधुरी देवी, पति-करनेश कुमार, पता-चिराद, डोरीगंज, छपरा। बैनर का नाम- जय बाबा बैद्यनाथ।	BR04G-0587 नि०तिथि-29.09.09 टैक्स-31.08.2025 फिटनेश-06.04.26 बीमा-26.08.25 प्रदूषण-04.01.26 VLTD-04.09.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	दुधडा-सिवान मार्ग सं०-3968 दुधडा प्र०-07:01 सिवान प्र०-13:25	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।
23	श्री मुकेश कुमार गुप्ता, पिता-प्रभुनाथ प्र० गुप्ता, ग्राम-करपलिया, पो०-मुस्ताबाद, थाना-गोरेयाकोठी, जिला-सिवान। बैनर का नाम- आदित्य राज।	BR29PA-5056 नि०तिथि 09.07.18 टैक्स-08.10.25 फिटनेश-22.01.27 बीमा-06.08.26 प्रदूषण-25.12.25 VLTD-19.01.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	दुधडा-सिवान मार्ग सं०-3968 दुधडा प्र०-05:45 सिवान प्र०-08:12 दुधडा प्र०-09:28 सिवान प्र०-12:45 दुधडा प्र०-15:30 सिवान प्र०-17:12	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	स्वीकृत।
24	श्री चन्दन राज, पिता-चन्द्र भूषण गुप्ता, ग्राम+पो०-नैनी, थाना-छपरा जिला-सारण बैनर का नाम- चन्दन ट्रेवल्स।	BR04M-6642 नि०तिथि 02.07.13 टैक्स-30.09.25 फिटनेश-29.04.26 बीमा-16.06.26 प्रदूषण-21.03.26 VLTD-22.05.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	छपरा-महम्मदपुर मार्ग सं०-3764 छपरा प्र०-06:50 महम्मदपुर प्र०-10:25 छपरा प्र०-15:01 महम्मदपुर प्र०-18:25	आपत्तिकर्ता-श्री संजीव कुमार (वास्ते-टुनटुन साह), पिता-श्री मुनी सिंह, परमिट सं०- BR2025-SC-1654A आवृत्त वाहन सं०- BR01PC-4588 मार्ग- महम्मदपुर-छपरा मार्ग सं०-3764 डा० आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है:- आवेदक मलमलिया प्र०-17:20 आपत्तिकर्ता मलमलिया प्र०-17:20 अंतराल-00 मिनट	BR01PC-4588 नि०तिथि-06.05.11 टैक्स-05.11.25 फिट०-24.01.26 बीमा-05.01.26 प्रदूषण-24.02.26 VLTD-04.04.26 जुर्माना-हाँ 500/16.08.25	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।	आपत्ति के बिंदु मलमलिया में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का समान समय हो रहा है, जबकि मध्य बिंदु पर न्यूनतम 2 मिनट का अंतराल होना चाहिए। आवेदक द्वारा द्वितीय ट्रिप कटाव कर परमिट निर्गत करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। अतः आवेदक के अनुरोध के आलोक में द्वितीय ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।

25	श्री राजु कुमार पिता-गामा यादव, ग्राम+पो0- सिनसिनिआ, थाना- सिसवन, जिला-सिवान वैनर का नाम- कृष्ण मुरारी।	BR04M-3963 नि0तिथि 06.03.13 टैक्स-05.09.25 फिटनेश-17.10.25 वीमा-07.08.26 प्रदूषण-04.10.25 VLTD-04.09.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	ग्यासपुर-सिवान मार्ग सं0-4041 ग्यासपुर प्र0-07:17 सिवान प्र0-12:20 ग्यासपुर प्र0-13:35 सिवान प्र0-16:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।		स्वीकृत।
26	श्री राकेश कुमार, पिता-श्री अमर राय ग्राम- जसौली खर्ग, जसौली पकौली, सिवान। वैनर का नाम-	BR29PB-9595 नि0तिथि 30.07.25 टैक्स-17.10.25 फिटनेश-29.07.27 वीमा-17.07.26 प्रदूषण-29.07.26 VLTD-13.08.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	मोतिहारी-सिवान मार्ग सं0-4077 मोतिहारी प्र0-04:02 सिवान प्र0-09:05 मोतिहारी प्र0-13:11 सिवान प्र0-17:05	आपत्तिकर्ता-श्री आलोक कुमार पाडे, पिता-श्री रामऐकवाल पाडे, परमिट सं0-BR2024- SC-2063A आवृत वाहन सं0- BR05PB-7388 मार्ग- रक्सौल-सिवान मार्ग सं0-2465 डा0 आवेदनकर्ता के RC युक्त पर Traveller Mono Bus में पास है। आवेदक रुट पर आवेदन किए हैं। DTO द्वारा जाँच कर Traveller Mono Bus का परमिट हेतु बस का आवेदन किए हैं, जो जाँच का विषय है।	BR05PB-7388 नि0तिथि-05.07.24 टैक्स-29.09.25 फिट0-04.07.26 वीमा-03.07.26 प्रदूषण-14.07.26 VLTD-24.07.26 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।		आपत्तिकर्ता द्वारा अपने आपत्ति के समर्थन में कि Traveller Mono Bus को स्थायी परमिट नहीं दिया जाना है, से संबंधित कोई भी साक्ष्य न तो आपत्ति आवेदन के साथ सलग्न किया है और न ही बैठक में उपलब्ध कराया गया। अतएव आपत्ति विचारणीय नहीं है। अतः परमिट स्वीकृत।
27	श्री अमरेन्द्र राय, पति-भरत राय, ग्राम-डुमरहर बुर्जग, पो0-डुमरहर खुर्द, थाना-दरौली, जिला-सारण। वैनर का नाम- जय सिया राम।	BR29R-8448 नि0तिथि-20.10.14 टैक्स-19.10.2025 फिटनेश-02.07.26 वीमा-10.06.26 प्रदूषण-28.01.26 VLTD-15.06.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	मेहरौना पुल-सिवान मार्ग सं0-2183 मेहरौना पुल प्र0 -08:08 सिवान प्र0-10:05 मेहरौना पुल प्र0 -12:05 सिवान प्र0-14:35	आपत्तिकर्ता-श्री अरविन्द सिंह, पिता-श्री मैनेजर सिंह, परमिट सं0-BR/109/SC/2018/ 162 आवृत वाहन सं0- BR29PA-2407 मार्ग- मेहरौना पुल-सिवान मार्ग सं0- आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है- आवेदक मेहरौना पुल प्र0-12:05 आपत्तिकर्ता मेहरौना पुल प्र0-12:05 अंतराल-00 मिनट	BR29PA-2407 नि0तिथि-27.10.16 टैक्स-23.10.25 फिट0-19.12.25 वीमा-23.01.26 प्रदूषण-24.10.25 VLTD-19.12.25 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-06.08.2020 को निर्गत है। कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं0-BR29PA-2522, परमिट सं0- BR2022-SC- 1411A वैधता-22.06.27 का मेहरौना पुल में प्र0 समय 08:09 तथा आवेदक का प्र0 समय 08:08 है। अंतराल 01 मिनट आवेदित वाहन के वैनर जय सिया राम के अतर्गत संचालित वाहन सं0- BR29PA-1877 का VLTD दिनांक-20.07.25 से फेल है, जबकि उक्त वाहन परमिट से आवृत है।	BR29PA- 2522 नि0तिथि-05.12.16 टैक्स-14.10.25 फिट0-03.04.26 वीमा-08.06.26 प्रदूषण-27.02.26 VLTD-29.03 26	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का कॉमन रुट 40 प्रतिशत से अधिक है एवं प्रारम्भिक विंदु मेहरौना पुल पर दोनों का प्रस्थान समय सामान है। अतः कार्यालय तथ्य में उल्लेखित वाहन एवं आपत्तिकर्ता के वाहन से समय का टकराव होने की स्थिति में ट्रिप कटाव के कारण आवेदन अस्वीकृत

28.	मसूर असारो, पिता-मोखतार असारो ग्राम+पो-भागर, थाना+जिला-सिवान बैनर का नाम- सद्दाम ट्रेवल्स।	BR04J-0486 नि0तिथि-10.12.10 टैक्स-31.08.2025 फिटनेश-26.10.25 वीमा-09.05.26 प्रदूषण-04.01.26 VLTD-31.05.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	ग्यासपुर-सिवान मार्ग सं0-4041 ग्यासपुर प्र0-09:33 सिवान प्र0-16:00	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार दिनांक-23.09.2018 को निर्गत है। आवेदित वाहन के बैनर सद्दाम ट्रेवल्स के अंतर्गत संचालित वाहन सं0- BR29N-6196 का VLTD दिनांक-05.05.25 से फेल है, जबकि उक्त वाहन परमिट से आवृत है। उक्त वाहन का VLTD अद्यतन करा लिया गया है।	आवेदित बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन सं0- BR29N-6196 का VLTD आवेदन करने से पूर्व अद्यतन न कराकर बैठक से पूर्व अद्यतन कराने की स्थिति में सं0 5000/- रु0 जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत।
29	श्री धीरज कुमार पिता-धुवनार्थ प्रसाद, पता-भवानीपुर जिरात, मोतिहारी। बैनर का नाम- NRA गुडिया।	BR06PF-1427 नि0तिथि 10.04.21 टैक्स-29.09.25 फिटनेश-15.04.27 वीमा-07.04.26 प्रदूषण-02.11.25 VLTD-03.05.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	गुठनी-रक्सौल मार्ग सं0-3675 गुठनी प्र0-06:45 रक्सौल प्र0-13:57	आपत्तिकर्ता-श्री रमेश महतो, पिता-स्व0 बगाली महतो, परमिट सं0-BR2025-SC- 2248A आवृत वाहन सं0- BR06PF-2419 मार्ग- सिवान-मोतिहारी मार्ग सं0-2199 आपत्तिकर्ता का मध्य आपत्ति निम्नवत है:- आवेदक मोतिहारी प्र0-15:29 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र0- 15:32 अंतराल-03 मिनट	BR06PF-2419 नि0तिथि-02.11.21 टैक्स-26.10.25 फिट0-12.03.26 वीमा-28.10.25 प्रदूषण-06.01.26 VLTD-10.03.26 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो मुज0 प्राधिकार से दिनांक-04.03.2023 को निर्गत है। आवेदित वाहन के बैनर NRA गुडिया के अंतर्गत संचालित वाहनो यथा- BR06PA-0955, BR06PE- 5485, BR06PF-1859 & BR06PF-7592 पर कुल 30728/-रु0 का जुर्माना बकाया है, जिसमें सबसे पुराना बकाया दिनांक-30.06.25 का है। साथ ही कई वाहनो यथा-BR06PF-1859, BR06PF-7591 & BR06PF- 7592 का VLTD भी अद्यतन नहीं है। उक्त के लिए क्रमांक-15 पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वांछित जुर्माना लगा दिया गया है।	चूंकि आवेदक एव आपत्तिकर्ता का कॉमन रुट 40 प्रतिशत से अधिक है एव आपत्ति के बिंदु मोतिहारी आपत्तिकर्ता का प्रारंभिक बिंदु है। ऐसी स्थिति में समय अंतराल पहले प्रस्थान की स्थिति में 5 मिनट होना चाहिए। जबकि मात्र 3 मिनट है। अतः आपत्ति के आलोक में मोतिहारी वाईपास के साथ एव ऐजेण्डा क्र0-15 में लगाये गये शर्त का अनुपालन के स्थिति में परमिट स्वीकृत।

30	श्रीमती सगीता कुमारी, पति-देवेन्द्र कुमार, पता-भवानीपुर जिरात, मोतिहारी। वैनर का नाम- NRA गुड़िया।	BR06PD-9828 नि0तिथि-06.10.18 टैक्स-23.09.25 फिटनेस-22.10.26 वीमा-11.10.25 प्रदूषण-22.10.25 VLTD-28.07.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	गुठनी-रक्साँल मार्ग सं0-3675 गुठनी प्र0-06.10 रक्साँल प्र0-13.34	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो गुज0 प्राधिकार से दिनांक-06.09.2023 को निर्गत है। आवेदित वाहन के वैनर NRA गुड़िया के अंतर्गत संचालित वाहनों यथा- BR06PA-0955, BR06PE- 5485, BR06PF-1859 & BR06PF-7592 पर कुल 30728/-रु0 का जुर्माना बकाया है जिसमें सबसे पुराना बकाया दिनांक-30.06.25 का है। साथ ही कई वाहनों यथा-BR06PF-1859, BR06PF-7591 & BR06PF- 7592 का VLTD भी अदयतन नहीं है। उक्त के लिए क्रमांक-15 पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वांछित जुर्माना लगा दिया गया है।	एजेण्डा क्र0-15 में लगाये गये शर्तों का अनुपालन होने के स्थिति में परमिट स्वीकृत।
----	--	--	---	----------------------	---	---

- नोट.- (1) उपरोक्त कार्यावली सं0-3(i) के क्रमांक 1 से 30 में आवेदित वैसे वाहन, जो पूर्व से परमिट से आवृत है, पर लगाई गई शर्तों के अतिरिक्त यह शर्त लगाया जाता है कि पूर्व से धारित परमिट का प्रत्यर्पण करना या परमिट प्रत्यर्पण संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (2) पूर्व से धारित परमिट का प्रत्यर्पण करने या परमिट प्रत्यर्पण करने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने के पश्चात एवं लगायी गयी सभी शर्तों का अनुपालन होने तथा पूर्व से बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् ही परमिट निर्गमन की कार्यवाई की जायेगी।
- (3) सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि कार्यावली संख्या-3(i) के क्रमांक-1 से 30 तक के निर्णय में लगाई गई शर्त एवं उक्त कंडिका (1) में लगाई गई शर्त का अनुपालन दिनांक-12.09.2025 तक अनिवार्य रूप से करते हुए उसकी साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे। अन्यथा लगाये गये शर्त का अनुपालन दिनांक-12.09.2025 तक नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि लगाये गये शर्त पर आप परमिट लेने हेतु इच्छुक नहीं हैं एवं इस आधार पर आवेदन Dispose Off कर Time Slot Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (4) जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/सिवान/गोपालगंज को निदेश है कि कार्यावाही में वर्णित जिस वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत किया गया है एवं पूर्व से भी उक्त वाहन के पक्ष में कोई वैध परमिट न हो तो वैसे वाहन का परिचालन न किया जा रहा हो, यह सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसे वाहनों का परिचालन पाया जायेगा, उनकी जवाबदेही तय की जायेगी।

अपर समाहर्ता सारण (राजस्व)
-सह-
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण छपरा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।